न्यायालय उपखण्ड मजिस्ट्रेट किशनगढ़बास (अल...

दिनांक	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज
26-6-19	वकील वादी उप0 । आज बार द्वारा कार्य स्थगन हो जाने से पेशी दि0 28-6-19 को पेश हो । (हस्ताक्षर)
28-6-19	पत्रावली पेश हुई । वकील वादी उप0 । वाद वादी डिक्री किया जाता है । निर्णय पृथक से शामिल किया गया । पत्रावली फैसल शुमार होकर रिकार्ड हो । (हस्ताक्षर)

Scanned by CamScanner

न्यायालय उपखण्डाधिकारी किशनगढ़-बास (अलवर)
==

अध्यासित द्वारा :- श्री सुरेन्द्र प्रसाद आर.ए.एस.

दावा संख्या	प्रवेश तिथि	निर्णय तिथि
402/07 501/13	1-10-07 14-6-13	28-6-19

उनवान

1- सीताराम

2- बद्री

3- रामसिंह

4- हरफूल

5- रोशन पुत्रान जंगली

6- राजपाल (

7- राजबीर पुत्रान बिशम्बर जाति अहीरान निवासी ग्राम टोहरी तहसील किशनगढ़-बास जिला अलवर :- वादीगण

बनाम

1- मु. जिन्दकौर बेवाह नत्थूसिंह --- मृतक

1/1-परसमसिंह
1/2-धनपतसिंह
1/3-विचित्रसिंह पुत्रान नत्थूसिंह जाति सिकलीगर निवासी मं. नं. 11बी ब्लाक कल्याणपुरी नई दिल्ली
1/4-जोगेन्द्र सिंह
1/5-कालासिंह पुत्रान नत्थूसिंह जाति सिकलीगर निवासी ग्राम अलमदीका तहसील किशनगढ़-बास
6- राज सरकार जरिये तहसीलदार किशनगढ़-बास

:-प्रतिवादीगण

दावा इश्तकरारहक मय दुरुस्ती इन्द्राज

उपस्थिति:-1- श्री लालाराम एड. वादीगण की ओर से।
2-प्रतिवादीगण के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही।

::निर्णय::

पत्रावली पेश हुई। दावे के समक्ष वृतान्त निम्न प्रकार से हैं:- वादीगण ने वाद पेश किया कि आ.ख. नं. 1277/1-16 वाके अलमदीका में से 15 बिस्वा भूमि हम वादीगण ने जरिये रजि. बयनामा दिनांक 31-5-90 को प्रतिवादीगण के पिता नत्थूसिंह पुत्र सोहनसिंह से खरीद की थी। बाद खरीद बयनामा पटवारी हल्का को वास्ते इन्तकाल दर्ज करने दे दिया था परन्तु पटवारी हल्का ने नातो इन्तकाल दर्ज किया ना ही असल बयनामा वापिस दिया। और कहा कि बयनामा मेरे पास नहीं है उसकी नकल ले आओ इन्तकाल दर्ज कर दिया जावेगा। विक्रेता नत्थूसिंह फौत हो गया

--2--

जिसके फौत होने पर इन्तकाल उसके वारिसान प्रतिवादीगण के नाम दर्ज हो गया। हमने पटवारी हल्का को नकल बयनामा दी तो कहा कि कोर्ट से आदेश कराओ तब इन्तकाल दर्ज होगा। इसलिए वादीगण को वाद पेश करना लजिम आया।

अत: प्रार्थना है कि वाद वादीगण निम्न प्रकार डिक्री फरमाया जावे:-

{अ} यह है कि आ. ख. नं. 1277/1-16 वाके ग्राम अलमदीका तहसील कि. बास में से रकबा 0-15बिस्वा आराजी जरिये बयनामा हम वादीगण 1लगा. 7 ने जरिये बयनामा खरीदी थी इसी प्रकार 15 बिस्वा का खातेदार काश्तकार मुताबिक बयनामा घोषित किया जावे।

{ब} प्रतिवादीगण 1लगा. 6 को पाबन्द किया जावे कि वो दीगर व्यक्ति को रहन बय से मुन्तकिल न करें, तथा वादीगण केकब्जे काश्त में मजाहमत न करें मौका की यथा स्थिति बनाये रखें।

{स} दीगर दादरसी बनजदीक हो अता फरमाई जावे।

दावा प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगणं को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण बावजूद सूचना के उपस्थित नहीं हुये उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही किये जाने के आदेश पारित किये गये। तथा पत्रावली वास्ते साक्ष्य वादी नियत की गई।

प्रतिवादीगणं ने साक्ष्य में लीलाराम वादी का शपथ पत्र पी.डब्लु 1, रामनिवास पुत्र सुलतान अहीर सा. मीरका पी.डब्लु 2, व रामौतार पुत्र सुलतान सा. मीरका पी.डब्लु 3 के शपथ पत्र पेश किये हैं। तथा दस्तावेजी साक्ष्य में नकल बयनामा प्रदर्श 1, नकल जमाबन्दी सं. 2060-63 पेश किये हैं।

वकील वादी की एकपक्षीय बहस सुनी गई। वकील वादी ने अपनी बहस में वाद में अंकित तथ्यों को ही दोहराते हुये बताया कि उक्त रकबा हमारा खरीद शुदा है बयनामा पटवारी को दे दिया था इन्तकाल दर्ज नहीं किया। हमें बयनामा के आधार पर खरीददार खातेदार घोषित किया जावे। दावा वादीगण डिक्री फरमाया जावे। हमने वकील वादीगण की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। वादी द्वारा प्रस्तुत नकल बयनामा प्रदर्श 1 से साबित है कि वादीगण ने आ. ख. नं. 1277 रकबा 1-16 में से रकबा 15 बिस्वा दिनांक 31-5-90 को नत्थूसिंह पुत्र सोहनसिंह से खरीद किया है। नकल जमाबन्दी सं. 2060-63 के अनुसार विक्रय शुदा रकबा विक्रेता नत्थूसिंह के वारिसान के नाम दर्ज रिकार्ड है। वादीगण द्वारा प्रस्तुत नकल बयनामा से साबित हैकि वादीगण ख. नं. 1277 के ग्राम अलमदीका के रकबा 15 बिस्वा के खरीददार खातेदार काश्तकार हैं।

--3--

Scanned by CamScanner

वादीगण का वाद भली भाँति साबित है वाद वादीगण डिक्री किया जाना कानून संगत व न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः आदेश है कि :-

वाद वादीगण बहक वादीगण विरुद्ध प्रतिवादीगण एकपक्षीय डिक्री किया जाकर मुताबिक बयनामा वादीगण को खरीददार खातेदार काश्तकार दर्ज किया जाता है। बयनामा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में वादीगण खातेदार काश्तकार दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। खर्चा वाद वादीगण स्वयं वहन करेंगे। पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल लेख अलमार हो। निर्णय टंकित कराया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

28.6.19

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़-बास (अलवर)